भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 538

दिनांक 05 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी की अस्वीकृति का प्रभाव

538. डॉ. एल. हनुमंतय्या:
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री सैयद नासिर हुसैन:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का अस्वीकार करने के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या भारत द्वारा आरसीईपी को अस्वीकार करने तथा क्षेत्रीय सम संतुलन प्रदान न करने से चीन की अर्थव्यवस्था दृढ़ बनेगी?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : सरकार ने घरेलू उद्योग, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों आदि जैसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए तथा इनपुट प्राप्त किए, जिन्हें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ता में भारत की स्थिति प्रतिपादित करते समय ध्यान में रखा गया। तदनुसार, 4 नवंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित तीसरे आरसीईपी लीडर्स समिट के दौरान, भारत ने यह स्पष्ट किया कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं करती है, जिसके प्रकाश में भारत आम सहमति में शामिल नहीं हुआ। आरसीईपी में भारत की स्थिति न्यायसंगत परिणामों, संतुलित आंकाक्षाओं को प्राप्त करने तथा छोटे उद्यमियों सहित अपने हितधारकों की घरेलू संवदेनशीलताओं का समाधान करने के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा, भारत ने अपनी घोषित स्थिति को भी अभिव्यक्त किया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की आर्थिक नीति का आधार है और आसियान देशों और अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत का जुडाव जारी रहेगा।

*****